

कार्यालय जिलाधिकारी, Jhansi (खनन अनुभाग)

पत्रांक :- **UP/Jhansi/No-1187, Dated: 30-12-2025**

दिनांक :- 30-12-2025

ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद Jhansi में प्रदेश में उपखनिज ईमारती पत्थर Granite and Dolostone Ballast Gitti के रिक्त क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-23(1) के अनुसार रिक्त घोषित करते हुये अध्याय-4 केअर्न्तगत शासनादेश संख्या 3236/86-2017-57 (सा0)/2017 टी0सी0-1 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, 30प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 12.12.2017 एवं अनुवर्ती शासनादेश संख्या-2169 दिनांक 9.10.2019 व 1735 दिनांक 25.09.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के अधीन ई-निविदा सह ई-नीलामी (E-Tender cum E-Auction) प्रणाली के माध्यम से परिहार पर दिये जाने के हेतु निम्नवत् ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रित किया जाता है:-

1. क्षेत्र का विवरण:-

| क्र०सं० | एरिया कोड | उपखनिज का नाम | क्षेत्र का विवरण | | | | जियोकोर्डिनेट | | नियमावली 2021 के अनुसूची-1 के अनुसार रायल्टी दर (रु० प्रति घन मी) | खनन योग्य आंकलित उप खनिज की मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष) | प्रथम वर्ष में आंकलित मात्रा की कुल रायल्टी रु० में | अर्नेस्ट मनी (कॉलम 12 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत रु० में) |
|---------|------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|--|---|---|--|---|--|
| | | | तहसील | ग्राम/एरिया कोड | गाटा सं०/खंड सं०/ जोन सं० | क्षेत्रफल (हे० में) | अक्षांश | देशांतर | | | | |
| 1 | 1528380413 | Granite and Dolostone Ballast Gitti | Jhansi | Dunara - 152838 | 22 khnd 09 | 1.0520 | A-25°- 27'33.76" B-25°- 27'32.89" C-25°- 27'29.37" D-25°- 27'29.98" | A-78°- 41'36.85" B-78°- 41'39.44" C-78°- 41'40.74" D-78°- 41'36.5" | 160 | 21040 | 3366400.00 | 841600.00 |
| 2 | 1521000408 | Granite and Dolostone Ballast Gitti | Moth | Madora Khurd - 152100 | 281 KHAND 04 | 1.0000 | A-25°- 47'25.8" B-25°- 47'25.51" C-25°- 47'22.94" D-25°- 47'22.9" E-25°- 47'21.31" F-25°- 47'21.21" G-25°- | A-79°- 1'8.16" B-79°- 1'5.62" C-79°- 1'6.1" D-79°- 1'6.8" E-79°- 1'6.81" F-79°- 1'10.07" G-79°- | 160 | 20230 | 3236800.00 | 809200.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------|--|--|-----|-------|------------|-----------|
| | | | | | | | 47°22.32" H-25°- 47°22.5" | 1°10.15" H-79°- 1°8.7" | | | | |
| 3 | 1526920403 | Granite and Dolostone Ballast Gitti | Mauranipur | Rauni - 152692 | 1619 KHAND 02 | 1.6180 | A-25°- 12°19.72" B-25°- 12°22" C-25°- 12°18.55" D-25°- 12°17.68" | A-79°- 8°24.77" B-79°- 8°18.76" C-79°- 8°17.55" D-79°- 8°24.04" | 160 | 24270 | 3883200.00 | 970800.00 |
| 4 | 1526900403 | Granite and Dolostone Ballast Gitti | Mauranipur | Kanja - 152690 | 376MI KHAND 03 | 2.0000 | A-25°- 12°32.81" B-25°- 12°29.46" C-25°- 12°26.93" D-25°- 12°29.7" | A-79°- 7°29.95" B-79°- 7°35.96" C-79°- 7°34.64" D-79°- 7°27.8" | 160 | 20000 | 3200000.00 | 800000.00 |
| 5 | 1526900404 | Granite and Dolostone Ballast Gitti | Mauranipur | Kanja - 152690 | 376MI KHAND 04 | 2.0000 | A-25°- 12°22.53" B-25°- 12°28.33" C-25°- 12°26.93" D-25°- 12°21.55" | A-79°- 7°28.68" B-79°- 7°31.17" C-79°- 7°34.64" D-79°- 7°32.55" | 160 | 20000 | 3200000.00 | 800000.00 |
| 6 | 1526900405 | Granite and Dolostone Ballast Gitti | Mauranipur | Kanja - 152690 | 376MI KHAND 05 | 2.0000 | A-25°- 12°22.53" B-25°- 12°28.33" C-25°- 12°29.7" D-25°- 12°23.38" | A-79°- 7°28.68" B-79°- 7°31.17" C-79°- 7°27.8" D-79°- 7°25.41" | 160 | 20000 | 3200000.00 | 800000.00 |
| 7 | 1526900406 | Granite and Dolostone Ballast Gitti | Mauranipur | Kanja - 152690 | 376MI KHAND 06 | 2.0000 | A-25°- 12°24.7" B-25°- 12°28.53" C-25°- 12°27.26" D-25°- 12°23.38" | A-79°- 7°19.29" B-79°- 7°22.43" C-79°- 7°26.88" D-79°- 7°25.41" | 160 | 20000 | 3200000.00 | 800000.00 |
| 8 | 1526900407 | Granite and Dolostone Ballast Gitti | Mauranipur | Kanja - 152690 | 376MI KHAND 07 | 1.3000 | A-25°- 12°33.51" B-25°- 12°28.53" | A-79°- 7°27.11" B-79°- 7°22.43" | 160 | 13000 | 2080000.00 | 520000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------------------------------|------------|----------------|--------------|--------|---------------------|--------------------|-----|-------|------------|-----------|
| | | | | | | | C-25°- 12'27.26" | C-79°- 7'26.88" | | | | |
| | | | | | | | D-25°- 12'29.7" | D-79°- 7'27.8" | | | | |
| | | | | | | | E-25°- 12'31.3" | E-79°- 7'26.7" | | | | |
| 9 | 1526310401 | Granite and Dolostone Ballast Gitti | Mauranipur | Bonda - 152631 | 146 KHAND 1 | 2.0000 | A-25°- 9'49.68" | A-79°- 2'49.58" | 160 | 20000 | 3200000.00 | 800000.00 |
| | | | | | | | B-25°- 9'46.5" | B-79°- 2'55" | | | | |
| | | | | | | | C-25°- 9'43.17" | C-79°- 2'51.98" | | | | |
| | | | | | | | D-25°- 9'45.68" | D-79°- 2'48.89" | | | | |
| | | | | | | | E-25°- 9'48.19" | E-79°- 2'48.22" | | | | |
| 10 | 1526310402 | Granite and Dolostone Ballast Gitti | Mauranipur | Bonda - 152631 | 146 KHAND 2 | 2.0000 | A-25°- 9'43.29" | A-79°- 2'59" | 160 | 20000 | 3200000.00 | 800000.00 |
| | | | | | | | B-25°- 9'46.5" | B-79°- 2'55" | | | | |
| | | | | | | | C-25°- 9'43.17" | C-79°- 2'51.98" | | | | |
| | | | | | | | D-25°- 9'41.51" | D-79°- 2'54" | | | | |
| | | | | | | | E-25°- 9'39.72" | E-79°- 2'55.31" | | | | |
| 11 | 1526310404 | Granite and Dolostone Ballast Gitti | Mauranipur | Bonda - 152631 | 146 KHAND 04 | 2.0000 | A-25°- 9'38.02" | A-79°- 3'5.69" | 160 | 20000 | 3200000.00 | 800000.00 |
| | | | | | | | B-25°- 9'40.6" | B-79°- 3'2.17" | | | | |
| | | | | | | | C-25°- 9'36.78" | C-79°- 2'58.19" | | | | |
| | | | | | | | D-25°- 9'36.46" | D-79°- 2'59.16" | | | | |
| | | | | | | | E-25°- 9'34.22" | E-79°- 3'1.92" | | | | |
| 12 | 1526310405 | Granite and Dolostone Ballast Gitti | Mauranipur | Bonda - 152631 | 146 KHAND 05 | 2.0000 | A-25°- 9'38.02" | A-79°- 3'5.69" | 160 | 20000 | 3200000.00 | 800000.00 |
| | | | | | | | B-25°- 9'36.09" | B-79°- 3'9.06" | | | | |
| | | | | | | | C-25°- 9'31.18" | C-79°- 3'4.33" | | | | |
| | | | | | | | D-25°- 9'34.22" | D-79°- 3'1.92" | | | | |
| 13 | 1526310406 | Granite and Dolostone Ballast Gitti | Mauranipur | Bonda - 152631 | 146 KHAND 06 | 2.0000 | A-25°- 9'34.36" | A-79°- 3'11.81" | 160 | 20000 | 3200000.00 | 800000.00 |
| | | | | | | | B-25°- 9'36.09" | B-79°- 3'9.06" | | | | |
| | | | | | | | C-25°- 9'31.18" | C-79°- 3'4.33" | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | D-25°- 9'30.14" | D-79°- 3'5.42" | | | | |
| | | | | | | E-25°- 9'29.68" | E-79°- 3'7.92" | | | | |

2.ई निविदा सह ई नीलामी द्वारा ईमारती पत्थर उपखनिज के खनन पट्टा अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेगे। पट्टा निष्पादन की तिथि से खनन पट्टा प्रारम्भ होगा तथा पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।

3.ई निविदा सह ई नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रतिघन मी० के लिये दी जायेगी जो 30प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर (आधार मूल्य) से कम नहीं होगी। इससे कम बिड/बोली दिये जाने पर बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। जहाँ क्षेत्र में एक से अधिक उपखनिज उपलब्ध हो वहाँ ऐसे उपखनिज, जिसकी रायल्टी सर्वाधिक हो, को आधार मूल्य माना जायेगा। जनपद जहाँ उपखनिज सैण्ड स्टोन जिसमें पटिया/बोल्डर/गिट्टी आदि मिश्रित रूप में पाये जाते है उनके ई-निविदा सह ई-नीलामी के मूल्यांकन में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 1012/86-2018-57(सा०)/2017 दिनांक 07.05.2018 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

4.ई निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender) देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकता है। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपनी दर पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते है।

5.किसी क्षेत्र के ई निविदा सह ई नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व सम्बन्धित क्षेत्र के सम्मुख कॉलम-11 में अंकित प्री बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।

6.निर्धारित खण्डों के प्री-बिड अर्नेस्ट मनी का निर्धारण उपरोक्त प्रस्तरों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति जिसमें अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी/तहसीलदार तथा जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी /खान अधिकारी/खान निरीक्षक होंगे, द्वारा कराया जायेगा।

7.ई-नीलामी सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एम०एस०टी०सी० के ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।

8.ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम०एस०टी०सी० में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आईडी० एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीकरण के उपरान्त बिडर्स को एम०एस०टी०सी० द्वारा भेजा गया सूचना ई मेल प्राप्त होगा, जिसके पश्चात बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम०एस०टी०सी० को ऑनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी०एस०टी० सहित ₹०-2,360.00 (दो हजार तीन सौ साठ रुपये) एम०एस०टी०सी० पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाईन जमा करना होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आईडी०, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम०एस०टी०सी० के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा। पूर्व में पंजीकृत बिडर्स जिसके पंजीकरण की अवधि वैध है, में पंजीकरण शुल्क देना नहीं पड़ेगा परन्तु नये नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेख यथा हैसियत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् ही उनका पंजीकरण चालू Activate हो पायेगा।

9.इच्छुक आवेदकों के लिए ऑनलाईन बिड/बोली हेतु Class III Signing type डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम एस टी सी के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे।

10.पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन एक या एक से अधिक क्षेत्रों के लिए बिड में भाग ले सकेगा परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी जमा करना होगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में ₹०-15,000 (₹०-पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम०एस०टी०सी० पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।

11.पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम०एस०टी०सी० के पोर्टल पर अपलोड करना

अनिवार्य होगा:-

1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र की प्रति।

2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता है।

(i) उत्तर प्रदेश राज्य से भिन्न अन्य प्रदेशों में जहाँ चरित्र प्रमाण पत्र आनलाईन उपलब्ध हो, वह मान्य होगा।

(ii) जिलाधिकारी के स्थान पर किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जारी किये जाने की स्थिति में आवेदक की वैधता के सम्बन्ध में आवेदक का सपथ-पत्र लिया जायेगा।

(iii) किसी प्रदेश से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र में वैधता की अवधि का उल्लेख न होने पर उसकी अवधि सामान्यतः निर्गमन के दिनांक से 03 वर्ष मानी जायेगी और जहाँ पर वैधता की अवधि का उल्लेख हो, उसे मान्य किया जायेगा।

3) आवेदक का पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी०एस०टी० नं० की प्रति।

4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई निविदा सह ई नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई०एफ०एस०सी० कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।

5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहाँ इस आशय का शपथ पत्र की प्रति।

6) पूर्ववर्ती पट्टाधारक के लाभ हेतु नियम-23(2)(ख) के अनुसार विज्ञापित क्षेत्र अथवा क्षेत्र से अधिक भाग का पूर्ववर्ती पट्टाधारक जिसका पट्टा हाल में ही समाप्त हुआ हो, के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र। उक्त प्रमाण पत्र अपलोड न करने की दशा में आवेदक पर नियम-23(2)(ख) के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

7) हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो।

(i) प्रोपराइटरशिप फर्म के सम्बन्ध में प्रोपराइटर का साल्वेंसी, पार्टनरशिप फर्म अथवा लिमिटेड लाइबेलिटी पार्टनरशिप फर्म (एल०एल०पी०) के सम्बन्ध में सभी पार्टनर का साल्वेंसी अनिवार्य होगा जो जिलाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। कम्पनी के सम्बन्ध में बैंक द्वारा जारी साल्वेंसी मान्य की जायेगी।

(ii) जिन प्रदेशों में साल्वेंसी सर्टिफिकेट आनलाईन उपलब्ध हो, उसकी पुष्टि आनलाईन कराते हुए मान्य की जा सकेगी।

(iii) किसी प्रदेश के साल्वेंसी सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि का उल्लेख न होने पर इसकी अवधि सामान्यतः निर्गमन के दिनांक से 02 वर्ष मानी जायेगी और जहाँ पर वैधता अवधि का उल्लेख हो, उसे मान्य किया जायेगा।

(iv) एम०एस०टी०सी० में पंजीकरण के समय जहाँ आवश्यक हो एम०एस०टी०सी० साल्वेंसी एवं अन्य अभिलेखों की वैधता के सम्बन्ध में आवेदक से सपथ-पत्र मांग सकती है। बिडिंग प्रक्रिया में सपथ-पत्र के आधार पर भाग लिया जा सकता है परन्तु लेटर ऑफ इन्टेंट निर्गत करने से पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में लेटर ऑफ इन्टेंट के समय अभिलेखों यथा चरित्र प्रमाण पत्र, साल्वेंसी सर्टिफिकेट आदि की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

(v) साल्वेंसी सर्टिफिकेट एक ही पंजीकरण हेतु मान्य की जायेगी।

(vi) नियम-26 (छ) के अनुसार बोली हेतु अपेक्षित हैसियत प्रमाण पत्र/बैंक गारन्टी अद्यतन बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

12. एम०एस०टी०सी० द्वारा केवल उन्हीं व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के प्रावधानों के अर्न्तगत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई-निविदा सह ई-नीलामी

प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं:-

- 1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है
- 2) जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है।
- 3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहाँ वह स्थाई रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।
- 4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
- 5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।
- 6) फर्म/कम्पनी के मामलों में जिसने पैनकार्ड तथा जी०एस०टी० पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।
- 7) जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो प्रस्तुत न किया हो।
- 8) काली सूची एवं वसूली प्रमाण पत्र-
 - (i) ऐसे आवेदक जिनका नाम निदेशालय की वेबसाईट पर पैन आधारित काली सूची/जारी वसूली प्रमाण पत्र की सूची में पाया जाता है, उनका बिड में भाग लेने हेतु एम०एस०टी०सी० लि० में पंजीकरण नहीं किया जायेगा।
 - (ii) पार्टनरशिप फर्म की दशा में यदि किसी पार्टनर का नाम/पैन नं० निदेशालय की वेबसाईट पर पैन आधारित काली सूची/जारी वसूली प्रमाण पत्र की सूची में पाया जाता है, तो उस फर्म को बिड में भाग लेने हेतु एम०एस०टी०सी० लि० में पंजीकरण नहीं किया जायेगा।

13. ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम०एस०टी०सी० के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर देखा जा सकता है। वेब पोर्टल पर प्रदर्शित विज्ञप्ति सम्बन्धी सूचना निविदाकार द्वारा पढ़ी हुयी मानते हुये उनकी सहमति समझी जायेगी।

14. ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया जिलाधिकारी द्वारा गठित निविदा समिति द्वारा सम्पन्न की जायेगी जिसके सदस्य निम्नवत् होंगे:-

- (1) जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी खनन, (अध्यक्ष)
- (2) जिलाधिकारी द्वारा नामित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी, (सदस्य)
- (3) जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, (सदस्य/सचिव) जिलाधिकारी तथा समिति के सभी सदस्यों का डिजिटल सिग्नेचर (Class III Signing cum Encryption) का होना आवश्यक है।

15. ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया: -

- 1) ई निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अर्न्तगत डाली जायेगी। ई निविदा हेतु बिड की धनराशि क्षेत्र के लिये निर्धारित न्यूनतम बोली से कम नहीं होगी। द्वितीय चरण में ई निविदा में प्राप्त अधिकतम निविदा धनराशि को आधार मानकर ई नीलामी की बोली की न्यूनतम धनराशि निर्धारित होगी। प्रथम चरण के इच्छुक आवेदक उक्त न्यूनतम धनराशि के ऊपर विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथि व समय के अनुसार आनलाईन बोली में भाग लेंगे।

2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में दी गयी धनराशि निर्धारित न्यूनतम बोली से 200 प्रतिशत से अधिक है तथा निविदादाता शेष शर्तें पूर्ण करता हो जो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड (आफर) 200 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर ऑफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।

(ग) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है तो निविदाकार को क्षेत्र के लिये निर्धारित ई-नीलामी की अवधि में अपना बिड बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(घ) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पाँच या पाँच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिड कर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर ऑफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(ङ) यदि पाँच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते हैं तब केवल पाँच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर ऑफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

- 3) उपरोक्त प्रस्तर-15(2)(ग),(घ),(ङ)के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- 4) द्वितीय चरण में ई नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई- नीलामी के लिए न्यूनतम बोली (थसववत च्त्पबम) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।
- 5) द्वितीय चरण की नीलामी की प्रक्रिया जो ई-निविदा खोलने के 02 घण्टे के बाद प्रारम्भ होगी, में इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाईन ही दिया जा सकता है।
- 6) निर्धारित समय के पश्चात बोली बन्द हो जायेगी ओर उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।
- 7) आशय पत्र जारी किये जाने से पूर्व सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र के पूर्ववर्ती पट्टाधारक जिसका पट्टा हाल में ही समाप्त हुआ को ई निविदा सह ई नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त एक कार्य दिवस के भीतर सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र पर पुर्ण प्रादेशिक (जमतपजवतपंस) अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर नियम-23(2) के शर्तों के अधीन दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार पूर्ववर्ती पट्टाधारक जिसने पंजीकरण के समय बिन्दु सं0-10(6) के अनुसार पूर्ववर्ती पट्टाधारक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो तथा द्वितीय चरण की नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया हो, क्षेत्र विशेष की नीलामी पूर्ण होने पर इसके उच्चतम बोली को स्वतः संज्ञान में लेकर उससे अधिक आफर का पत्र अपने हस्ताक्षर सहित स्कैन कर अपने रजिस्टर्ड ई0मेल आई0डी0 से ई नीलामी की समाप्ति की तिथि से अगले कार्यदिवस के साँय-05:00 बजे तक जिलाधिकारी के ई-मेल आई0डी0 एवं एम0एस0टी0सी0 के मेल आई0डी0 पर प्रस्तुत करने का विकल्प होगा, अन्यथा की दशा में पूर्ववर्ती पट्टाधारक के आधार पर उपरोक्त प्राथमिकता का 30प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-23(2)(ख) के अन्तर्गत लाभ नहीं मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट तीन कार्य दिवसों में उक्त के सम्बन्ध में निर्णय लेकर सम्बन्धित पूर्व, पट्टाधारक, एम0एस0टी0सी0 एवं नीलामी में भाग लेने वाले उच्चतम बोलीदाता को सूचित करेंगे।

8) अधिकतम तीन खनन पट्टे अथवा 25 हे0 से अधिक के क्षेत्र को 30प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 03 खनन पट्टे अथवा 25 हे0 से अधिक क्षेत्रफल का खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टा निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जव्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के तीन क्षेत्र के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में 03 खनन पट्टे अथवा 25 हे0 से अधिक क्षेत्रफल का खनन पट्टा होने की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।

9) ई निविदा सह ई नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी:-

| | |
|--|--|
| प्री-बिड अर्नेस्ट मनी जमा करने की अवधि | ई-निविदा से पूर्व एम0एस0टी0सी0 में अपेक्षित प्री बिड ईएमडी एवं आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 वेबसाइट पर वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार जमा करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की है एवं बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लें। |
| प्रथम चरण ई-निविदा (ई-टेण्डर) की अवधि | 13-01-2026 (10:00 बजे) से 16-01-2026 (17:00 बजे) तक |

| विज्ञप्ति में क्षेत्र क्रमांक संख्या | प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना व मूल्यांकन | द्वितीय चरण की ई-नीलामी |
|--------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 19-01-2026 10:00 से 12:00 तक | 19-01-2026 12:00 से 14:00 तक |
| 2 | 19-01-2026 10:00 से 12:00 तक | 19-01-2026 12:00 से 14:00 तक |
| 3 | 19-01-2026 13:00 से 15:00 तक | 19-01-2026 15:00 से 17:00 तक |
| 4 | 19-01-2026 13:00 से 15:00 तक | 19-01-2026 15:00 से 17:00 तक |
| 5 | 20-01-2026 10:00 से 12:00 तक | 20-01-2026 12:00 से 14:00 तक |
| 6 | 20-01-2026 10:00 से 12:00 तक | 20-01-2026 12:00 से 14:00 तक |
| 7 | 20-01-2026 13:00 से 15:00 तक | 20-01-2026 15:00 से 17:00 तक |
| 8 | 20-01-2026 13:00 से 15:00 तक | 20-01-2026 15:00 से 17:00 तक |
| 9 | 21-01-2026 10:00 से 12:00 तक | 21-01-2026 12:00 से 14:00 तक |
| 10 | 21-01-2026 10:00 से 12:00 तक | 21-01-2026 12:00 से 14:00 तक |
| 11 | 21-01-2026 13:00 से 15:00 तक | 21-01-2026 15:00 से 17:00 तक |
| 12 | 21-01-2026 13:00 से 15:00 तक | 21-01-2026 15:00 से 17:00 तक |
| 13 | 22-01-2026 10:00 से 12:00 तक | 22-01-2026 12:00 से 14:00 तक |

8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन:-

(क) प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य हैं अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते हैं।

(ख) द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(ग) सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा प्री-बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि (बयाने की धनराशि) सम्बन्धित बोलीदाता/निविदादाता के बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।

16. लेटर ऑफ इन्टेंट निर्गत किया जाना:-

1) ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात् 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी जहाँ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख की सत्यापन की स्थिति में अभिलेख सत्यापन की आख्या ई-मेल के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख सत्यापन के पश्चात् ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर ऑफ इन्टेंट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर ऑफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

2) नियमावली के नियम-28 के प्रावधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को प्रस्तर-15(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे जो उच्चतम हो। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर ऑफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

17. सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा लेटर ऑफ इन्टेंट के पश्चात् कार्यवाही एवं धनराशि जमा करने की रीति:

1) लेटर ऑफ इन्टेंट जारी होने के पश्चात् सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किस्त

के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।

2) स्वीकृत पट्टे की अवधि अधिकतम 20 वर्ष होगी। समिति द्वारा निर्धारित मात्रा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त सर्वोच्च बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु ई-नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी।

3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षों की किश्तें नियमावली-2021 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

4) स्वस्थाने चट्टान किस्म के पत्थर के खनिजों पर प्रथम 10 वर्षों के लिए संदेय धनराशि, बोली दर अथवा समय-समय पर नियमावली, में विनिर्दिष्ट रायल्टी दर, जो भी अधिक हो, के आधार पर होगी। अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर संदेय धनराशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी किन्तु अनुवर्ती वर्षों में संदेय धनराशि, नियमावली, में विनिर्दिष्ट रायल्टी दर से कम नहीं होगी।

5) पट्टाधारक नियमावली-2021 के नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा जिसमें सीमा बिन्दुओं का जियो-कार्डिनेट (अक्षांश एवं देशान्तर) भी इंगित किया जायेगा तथा नियम-36 के अनुसार सीमा-स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।

6) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना अनुमोदन होने के एक माह के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

7) पट्टा विलेख निष्पादन से पूर्व नियम-35 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।

8) पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टाविलेख का निष्पादन एवं पट्टाविलेख के निष्पादन के दिनांक से तीन माह के भीतर खनन संक्रियाएँ प्रारम्भ करनी होंगी।

9) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

18. जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।

19. ई-निविदा सह ई-नीलामी की शर्तें:-

(1) ई निविदा सह-ई नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुंच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्भे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।

(3) पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से तीन माह के भीतर खनन संक्रियाएँ प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भांति करेगा। 02 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के पट्टाधारक को पट्टा विलेख निष्पादित किये जाने से दो वर्ष के भीतर स्टोन क्रशर स्थापित करना होगा।

(4) पट्टाधारक नियम-36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी द्वार पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेटका निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्केनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उप खनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त

प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एमओएमओ-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सीओसीटीवीओ कैमरे और आरओएफओआईडीओ स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

(5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एमओएमओ-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एमओएमओ-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेवकरने के लिए आरओएफओआईडीओ स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-2021 के नियम-60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

(6) पट्टेदार द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुसार खनन संक्रिया किया जायेगा।

(7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।

(8) ई-निविदा सह-ई-नीलामी की बिड/बोली को स्वीकार करने अथवा किसी क्षेत्र के उच्चतम बिड/बोली को कारण अभिलिखित करते हुए अस्वीकार करने का अधिकार जिलाधिकारी को निहित होगा।

(9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ अभिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहां पर खनिजों का विक्रय मूल्य पट्टाधारक प्रदर्शित करेगा।

(10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

(11) माओ उच्च न्यायालय, माओ राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा माओ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।

(12) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

(13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन किया जाता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगी।

(14) 30प्रओ उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-60(1) में उल्लिखित प्राविधान अमल में लायी जायेगी, जो इस प्रकार है:- "प्रस्तावक, जो आशय-पत्र प्राप्त किया हो, तथापि नियम 35 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार नियत की गयी एक माह की अवधि के भीतर खनन योजना प्रस्तुत नहीं किया हो या पर्यावरण अनापत्ति स्वीकृति हेतु आवेदन नहीं किया हो, रू0 दस हजार प्रतिदिन की शास्ति के लिये दायी होगा। शास्ति की धनराशि, जमा करने में विफल होने पर उस धनराशि को, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती की जायेगी।

(15) यदि प्रस्तावक पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने में अकारण विलम्ब करता है तो उसके द्वारा अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए निर्गत आशय-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

जिलाधिकारी

Jhansi |